

मा. नं. १२१८
गवाल दिनांक २२/१८

२.२.१८

पत्रावली पेशा वकील पत्रकार एवं पत्रकार
उपरो में राजीनामा पेश किया ५१.०१
२६/१८ राजीनामा पर पत्रकारों को पुनः
राज्य राजीनामा लसीक किया पाठ
पत्रकारों को पुनः वापस आदेश
१९.५.१८ को पेश है।

रहमती
अहमद

श्री. एम. अली
श्री. अली

श्री. अली
श्री. अली
श्री. अली

पत्रावली पेशा वकील पत्रकार उपरो
में वापस आदेश ३०.५.१८ को
पेश है।

श्री. अली
श्री. अली

पत्रावली पेशा वकील पत्रकार उपरो में
वापस आदेश १.५.१८ को पेश है।

राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प
स्थान गीतिका दिनांक १/५/१८

श्री. अली
श्री. अली
श्री. अली

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
में पेश हुई कवचकन किया गया
पत्रकारों द्वारा आपसी सहमति का
राजीनामा शामिल पत्रावली है।

13/05/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का विवरण ग्राम असेंबली की श्रेमि खच नं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, व 63 किला 7 कवा 1011 हेक्टर श्रेमि वसीर मोहम्मद पुत्र रहमान जाति मुसलमान साठ मोड़क ट्रेडिंग के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त श्रेमि के वाबिक खसरा नं. 37, 38, 39, 40, 41, 42, व 43 है। उक्त श्रेमि की वसीयत वसीर मोहम्मद द्वारा परिवारी नम्बर 1 व 2 के पास में दि० 31-5-08 को की जाकर राजि० नं० 1272 गैर है वसीयतनामा शाह पमावली है। वसीर मोहम्मद के देहावसान होने का उभयपक्ष द्वारा लीकल फथन है तथा - कुल्लिम विधि अनुसार एक लिहाज संपत्ति के अधिकारी वसीयत होने के काल वसीर मोहम्मद के प्राथमिक उत्तराधिकारी जो कि वादिनी तथा प्रति० नं० 1 है, के द्वारा लिखित सहमति प्रस्तुत कर की गई है अर्थात् नियम हमकी विधि 189(2) के अन्तर्गत लिखित सहमति पेश की जा चुकी है, जो बलौर राजी नामा शामिल पमावली है। अतः राजीनामे की हद तक वाद वादियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि ग्राम असेंबली तहलील सभगंजमंडी की श्रेमि आरबी खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 61, 62 व 63 किला 7 कवा 1011 हे० को प्रति० नं० 1 दि० 12 तथा प्रति० नं० 2 दि० 12 के अनुसार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

तारीख

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

राजस्थान लोक अदालत
मध्य न्याय न्यायक द्वार कमिश्नर

दरज कर राजस्थान रिकार्ड में अमल
इसमद किया जावे। तदनुसार डिही
पन्चा भुक्ति ही

रुद्र
(छुटा) गोपाल जोषन

उपलवड अधिकारी
रामगंजमडी

निर्णय आज दि० 01-05-2018 को
मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्थान
लोक अदालत कैम्प जोयन्दा पर
सुनाया गया।

रुद्र
11/5/2018
उपलवड अधिकारी
रामगंजमडी

1/5/18

राजस्थान लोक अदालत (कोर्ट जेमा)
राजकोषिका संख्या 1/5/18

राजस्थान लोक अदालत
स्वायत्त न्यायिक न्याय प्रणाली

Judicial
Part V-10

फारिनस डिकरी व मुकद्दमे इस्तबाई

(अधिनियम 20, धारा 8-9, भाग 10 के अंतर्गत)

(Civil Procedure Code, Appendix (D)-1)

अवकाश उपायुक्त अधिकारी मुकाम राजकोषिका
 व इतबार शुद्ध गोपाल जीवत (R.A.S.)
इ.एम.ल.बाई मुकाम इ.एम.ल.
 संख्या 88-188-53 R.A.S.
 संख्या 08 तिथि 2017

यह मुकद्दमा न्यायिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत शुद्ध गोपाल जीवत (R.A.S.)
 द्वारा दायर किया गया है।

मिलानियत मुद्दापत्र के अंतर्गत, हमें दिया जाता है कि डिकरी दी जाती है कि
राजीवजी की हर एक ब्याज वारंटों को डिकरी किया गया है यह अधिकार रिज
 आते हैं, कि ग्राम अमरकली लक्ष्मी राठवाड़ी की भूमि आवासीय संख्या: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
 किला नं. (क) 111 है 0 को प्लॉट नं. 1 डि. Y2 तथा प्लॉट नं. 2 डि. Y2 के अनुसार रजि
 कर राजस्व रिकार्ड में अमरकली राठवाड़ी किया गया।

बीच ✓ मुद्दापत्र ✓ बाबत ✓
 क्या इन मुकद्दमे में मजदूरी व मरह ✓ फीसदी साक्ष्यात्मक आग की तारीख
 के अभाव में मुद्दापत्र को अदा करे।

अदालत ने उक्त मुद्दापत्र को अदा करने के भाव तारीख 01 माह 05 2018
 को जारी की गई।

मह उ.एम.ल.बाई
 इस्तबाई उपायुक्त अधिकारी

मुद्दापत्र	रकम	पं.	मुद्दापत्र	रकम	पं.
स्थापक अर्जी का		स्थापक अर्जा	
स्थापक अर्जा		स्थापक अर्जा	
स्थापक अर्जा		महानुज्ञा व फीस पर	
स्थापक अर्जा		अर्जा गवाहान	
अर्जा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय व रकमनामा	
बाबत इजराय व रकमनामा		मुकद्दम	
मुकद्दम				
मीमान		मीमान	

नोट-इस सच के काम पर कुल अर्जा हर दो फीसदी का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना
 बाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1;00,000 फाम

उ.एम.ल.बाई
 उपायुक्त अधिकारी
 राजकोषिका